

राजस्थान सरकार

आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग 2727-41

पत्रांक: एफ 5 (4) आ.प्र. एवं स.आ./ चारा/पशुआहार/2009-10/

जयपुर, दिनांक 23.4.10

जिला कलेक्टर,
चूरु।

विषय:- अभाव संवत् 2066 में अभावग्रस्त क्षेत्रों में पशु पालकों के पशुओं को अनुदानित दर पर पशु आहार उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक: 2010/3792 दिनांक 16.4.2010 के क्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में अभाव संवत् 2066 में अभावग्रस्त क्षेत्रों में आपके जिले से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर निम्नांकित पशु संख्या हेतु तत्काल प्रभाव से संवत् 2066 की पशु संरक्षण गतिविधियां जारी रहने की अवधि तक के लिए अनुदानित दर पर पशु आहार उपलब्ध कराये जाने हेतु अधिकृत किया जाता है:-


क्र.सं.	नाम जिला	पशु संख्या
1	चूरु	31,720

पशुओं को अनुदानित दर पर पशु आहार उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में निम्न दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे-

- 1 पशु आहार अनुदान अनुसूचित जाति, जनजाति, सीमान्त एवं लघु कृषकों के पशुओं को प्राथमिकता पर स्वीकृत किया जाए, इसके उपरान्त सामान्य श्रेणी के पशुपालकों के पशुओं को स्वीकृति दी जाए। क्योंकि उक्त योजना का लाभ विशेष रूप से दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों ही प्राप्त करने में सफल रहती है।
- 2 उक्त श्रेणी के सभी पशुपालकों के पास उपलब्ध तीन पशुओं की मांग में से एक पशु को तथा इससे अधिक पशु होने की स्थिति में दो पशुओं को अनुदानित दर पर पशु आहार उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी जाए।
- 3 अनुदानित दर पर पशु आहार का वितरण पंचायत राज संस्थाओं/ सहकारी संस्थाओं/ ग्राम सहकारी समितियों के माध्यम से कराया जाए।
- 4 यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पशु आहार अनुदान राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन/ राजफैड द्वारा निर्मित, एवं राजफैड/आरसीडीएफ द्वारा क्रय कर आपूर्ति किये गये पशु आहार ही देय होगा।
- 5 पशु पालकों के पशुओं को अनुदानित दर पर पशु आहार उपलब्ध करायेजाने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि उस पशुपालक के पशु उस क्षेत्र में संचालित पशु शिविर के माध्यम से तो लाभान्वित नहीं हो रहे हैं अर्थात् पशु पालक के पशु को एक ही योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जाए।
- 6 अनुदानित दर पर पशु आहार अनुदान 4/- रुपये प्रति किलो की दर से अधिकतम 2 किलो आहार प्रति पशु प्रतिदिन की दर से देय होगा, अर्थात् 8/- रुपये की राशि अनुदान स्वरूप प्रतिपशु प्रतिदिन की दर से देय होगा। संबंधित जिला कलेक्टर जिले की पशु आहार की आवश्यकता की मांग आर.सी.डी.एफ./राजफैड को मांग प्रेषित करेंगे तथा पशु आहार की आपूर्ति आर.सी.डी.एफ./राजफैड द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

- 7 जिला कलक्टर समय समय पर पशु आहार की जांच करायेगें और सुनिश्चित करेगे कि अच्छी किस्म का पशु आहार ही पशुपालको को उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रतिमाह सरकार को इस संबंध में सूचना देगे।
- 8 पशु पालको को उनके पशुओ के लिए पशु आहार उपलब्ध कराने हेतु जिला कलक्टर के निर्देशन में तहसीलदार कार्ड जारी करेगें। पशु आहार उन्ही कार्डस पर दिया जाएगा।
- 9 पशु आहार वितरण करने वाली संस्था द्वारा अनुदान राशि प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा वितरित किए गए पशु आहार का बिल संबंधित जिला कलक्टर को पेश किया जायेगा, जिला कलक्टर स्वय की संतुष्टि के पश्चात् संस्था को अनुदान का भुगतान करेगें।
- 10 पशु आहार वितरण लेखों की जांच व ऑडिट महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर द्वारा अथवा सहायता विभाग की ऑडिट पार्टी द्वारा किया जा सकेगा।
- 11 उपरोक्त कार्यवाही की समीक्षा जिला स्तरीय, उप खण्ड स्तरीय अकाल राहत समीक्षा समितियों की बैठक में की जाएगी। इस योजना का समुचित प्रचार भी किया जाए।
उपरोक्त निर्देशों के अतिरिक्त विस्तृत निर्देश आपको प्रेषित आपदा प्रबन्धन एवं सहायता निर्देशिका व सूखा प्रबन्धन संहिता में दिये गये प्रावधानों के अनुसार पशु आहार वितरण सुनिश्चित किया जाए।


भवदीय,



शासन उप सचिव

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राज0, जयपुर।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज0, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, मन्त्री आपदा प्रबन्धन एवं सहायता, राज0, जयपुर
4. विशिष्ट सहायक, संबंधित जिला प्रभारी मंत्री।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज0, जयपुर
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास) राज0, जयपुर
7. निजी सचिव, संबंधित जिला प्रभारी सचिव।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर
9. प्रबन्ध संचालक, राज0 राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन, राज0, जयपुर/प्रबन्ध संचालक, राज0 क्रय-विक्रय संघ, जयपुर।
10. संभागीय आयुक्त, बीकानेर।
11. मुख्य लेखाधिकारी, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर।
12. समस्त अधिकारीगण, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, जयपुर।



शासन उप सचिव